

प्रेषक,  
भाष्कर पाण्डेय,  
उप सचिव,  
उ0प्र0 शासन।  
सेवा में,  
मुख्य विकास अधिकारी,  
जालौन।

**लोक निर्माण अनुभाग-14**

**लखनऊ: दिनांक- 16 सितम्बर, 2020**

विषय- बुन्देलखण्ड विकास निधि (राज्यांश) अनुदान संख्या-56 के अन्तर्गत जनपद-जालौन की 01 परियोजना (चतेला सम्पर्क मार्ग का छूटा भाग कि0मी0 05 (चैनेज 4.750 से 5.00) कि0मी0 6 एवं कि0मी0 7(चैनेज 6.00 से 6.250) का निर्माण) के क्रियान्वयन हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अवशेष धनराशि का आवंटन।

-----

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1015बु0वि0नि0(राज्यांश)/2019-20, दिनांक 09.01.2020 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद-जालौन की कतिपय परियोजनाओं का उपयोगिता प्रमाण-पत्र आदि उपलब्ध कराते हुए अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-36/2019/898/23-14-2018-05आ0बु0वि0नि0/2018, दिनांक 30.01.2019 द्वारा जनपद जालौन की 02 परियोजनाओं, जिसमें विषयांकित परियोजना के क्रियान्वयन हेतु कुल ₹0 165.09 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उसके सापेक्ष प्रथम किस्त के रूप में ₹0 66.036 लाख अवमुक्त की गयी है। अतः विषयांकित परियोजना के क्रियान्वयन हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में द्वितीय किस्त के रूप में धनराशि ₹0 66,03,000.00 (रूपये छ्छठ लाख तीन हजार मात्र) अवमुक्त करते हुये आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। परियोजना का विवरण निम्नवत् है-

**धनराशि (लाख ₹0 में)**

क्र0 सं0	परियोजना का नाम/ जनपद जालौन	लम्बाई (कि0मी0)	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	कुल अवमुक्त धनराशि	वित्तीय वर्ष 2020- 21 में धनराशि का आवंटन
1	2	3	4	5	6
1	चतेला सम्पर्क मार्ग का छूटा भाग कि0मी0 05 (चैनेज 4.750 से 5.00) कि0मी0 6 एवं कि0मी0 7(चैनेज 6.00 से 6.250) का निर्माण।	1.50	165.09	66.036	66.03

3- यह धनराशि केवल उक्त परियोजना पर ही मानक/विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका सम्पूर्ण दायित्व आपका होगा।

4- परियोजना का क्रियान्वयन निम्नांकित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा:-

- (1) मुख्य विकास अधिकारी का दायित्व होगा कि स्वीकृत कार्य के अवशेष कार्य कड़ी निगरानी में समयबद्ध ढंग से पूर्ण कराये जायें। यह सुनिश्चित किया जाय कि आवंटित धनराशि का दुरुपयोग न हो।
- (2) उक्त परियोजना पर होने वाले व्यय को स्वीकृत धनराशि तक ही सीमित रखा जायेगा, कार्य की विशिष्टियां, मानक गुणवत्ता की सम्पूर्ण जिम्मेदारी मुख्य विकास अधिकारी की

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- होगी तथा वे यह भी सुनिश्चित करेंगे कि फण्डिंग की डुप्लीकेसी न हो तथा कार्य समय से पूरा हो। इसके लिए वे पूर्णतया उत्तरदायी होंगे।
- (3) आवंटित धनराशि का आहरण करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि पूर्व आवंटित धनराशि का सदुपयोग कर लिया गया है एवं कार्य का स्थलीय निरीक्षण कर लिया गया है तथा आवंटित धनराशि से कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा।
  - (4) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा धनराशि बैंक में न रखी जाय। स्वीकृत धनराशि अनुमोदित कार्यों पर ही व्यय की जायेगी।
  - (5) परियोजनान्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्य/व्यय शासन द्वारा स्वीकृत आगणन के अनुसार ही किये जायेंगे।
  - (6) निर्माण कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री का क्रय स्टोर परचेज नियमों तथा समय-समय पर जारी तत्सम्बन्धी शासनादेशों एवं नियमों के अनुसार ही किया जायेगा तथा कार्य के अनुमान/आगणन पर यथा स्थिति सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी। उक्त परियोजना के लिए स्वीकृत धनराशि का व्यय परियोजना की विस्तृत ड्राइंग/डिजाइन व सर्वेक्षण रिपोर्ट तथा सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात सुनिश्चित किया जायेगा।
  - (7) स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष योजनावार वित्तीय एवं भौतिक प्रगति आप द्वारा कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर प्रत्येक माह की 07 तारीख तक प्रमुख सचिव, लोक निर्माण अनुभाग-14, 30प्र0 शासन, लखनऊ को निर्धारित प्रपत्र पर भेजी जायेगी।
  - (8) मुख्य विकास अधिकारी द्वारा स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र बजट मैनुअल के प्राविधानों के अनुसार अनिवार्य रूप से नियत समय पर महालेखाकार, 30प्र0 व 30प्र0 शासन को प्रेषित किये जायेंगे।
  - (9) स्वीकृत परियोजना के लिए आवंटित धनराशि का उपयोग दिनांक 31.03.2021 तक अवश्य कर लिया जायेगा तथा परियोजना में जनपद स्तर पर कोई संशोधन/परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
  - (10) परियोजना हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में कार्यदायी संस्था फार्म-42 आई पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध करायेगी जो स्थलीय निरीक्षण कराकर कार्य मानक/विशिष्टियों के अनुरूप पूर्णतया संतोषजनक पाये जाने पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र अपने प्रतिहस्ताक्षर के उपरान्त फोटोग्राफ्स सहित प्रमुख सचिव, लोक निर्माण अनुभाग-14, 30प्र0 शासन, लखनऊ को प्रेषित करेंगे तथा उसकी प्रति मण्डलायुक्त को उपलब्ध करायेंगे। परियोजना पूर्ण होने के उपरान्त यदि कोई धनराशि अवशेष रह जाती है तो अवशेष बच रही धनराशि को ट्रेजरी चालान के माध्यम से कोषागार में सुसंगत लेखा शीर्षक के अन्तर्गत जमा कराकर ट्रेजरी चालान की प्रमाणित प्रति शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।
  - (11) मण्डलायुक्त/मुख्य विकास अधिकारी परियोजना के निर्माण कार्य में गुणवत्ता एवं तदुपरांत सृजित परिसम्पत्तियों के रखरखाव की भी समुचित व्यवस्था कर लेंगे, यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति न हो।
  - (12) परियोजना की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने हेतु कार्यदायी संस्था के सक्षम अधिकारी पूर्णतया उत्तरदायी होंगे।
- 5- उपर्युक्त परियोजना के समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन के लिए आप उत्तरदायी होंगे एवं तदनुसार कार्य कराने हेतु कार्यदायी संस्था से प्रभावी समन्वय बनाये रखेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

6- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-56 के अन्तर्गत "पूँजीलेखा-4575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूँजीगत परिव्यय-60-अन्य-800-अन्य व्यय-04-बुन्देलखण्ड की विशेष योजनायें-24-वृहत निर्माण कार्य" में उपलब्ध धनराशि से वहन किया जायेगा।

7- यह आदेश वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,  
(भाष्कर पाण्डेय)  
उप सचिव।

**संख्या-146/2020/469(1)/23-14-2020-तददिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ०प्र०, प्रयागराज ।
- 2- महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम व द्वितीय, प्रयागराज ।
- 3- आयुक्त, झांसी मण्डल, झांसी।
- 4- जिलाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जालौन।
- 5- प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
- 6- मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय-1) लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 7- मुख्य अभियन्ता, झांसी क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, झांसी।
- 8- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-3, लोक निर्माण विभाग, जालौन।
- 9- वरिष्ठ आडिट आफीसर (आडीटर प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम सत्यनिष्ठ भवन, 15 नार्थहिल रोड, प्रयागराज ।
- 10- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/लोक निर्माण अनुभाग-10
- 12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,  
(भाष्कर पाण्डेय)  
उप सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।  
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।